न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर– 2025/395

1. कन्हैयालाल पुत्र गोदू जाति अहीर, निवासी कोटडी लुहारवास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 07.03.2025 अपील संख्या 42/2024 उनवानी कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार व नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.05.2024 प्रकरण संख्या 67/2023 में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री शम्भूदयाल गोठवाल, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–30.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.03.2025 एवं नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.05.2024 के खिलाफ दिनांक 25.03.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.05.2024 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2078 में वाके ग्राम कोटडी लुहारवास की आराजी खसरा नम्बर 3392 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0 मु0 चाह में से रकबा 0.06 है0 भूमि पर अतिक्रमी द्वारा तारबंदी कर अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.03.2025 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.05.2024 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.03.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 30.05.2024 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.03.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालयों का चुनौतिग्रस्त निर्णय पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजी साक्ष्यों के खिलाफ व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित एवं न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य हैं। अपीलाण्ट द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर के समक्ष न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 3388, 3390, 3391 कुल किता 3 कुल रकबा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

0.60 हैक्टर वाकै ग्राम कोटडी लुहारवास में स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 2119 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा थे जिसका हैक्टर में रकबा 0.6375 हैक्टर बनता है लेकिन पैमाईश के दौरान उक्त भूमियों के हैक्टर में रकबा बनाते समय 0.6000 हैक्टर ही बनाया गया अर्थात् हैक्टर में रकबा बनाते समय 0.0375 हैक्टर कम कर दिया गया तथा उक्त रकबा कम करते हुए अन्य खसरा नम्बर बनाकर प्रार्थी की खातेदारी कम कर दी गयी इस प्रकार स्पष्ट है कि पुराने खसरा नम्बर 2119 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के हैक्टर में रकबा 0.6375 बनता है इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन बडा ही क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत हुआ था कि प्रार्थी की भूमि का रकबा 0.6375 – 0.6000 = 0.0375 हैक्टर पैमाईश के दौरान कम कर दिया गया तथा कम रहा रकबा अपीलाण्ट के हिसाब से व मिलान क्षेत्रफल एवं प्रस्तुत राजस्व नक्शा तथा जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 ग्राम कोटडी लुहारवास के अवलोकन के हिसाब से खसरा नम्बर 3392 में मिलाकर उसका रकबा बढ़ा दिया गया जिसको दुरूस्त किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन विचाराधीन था योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में यह तथ्य भी प्रस्तुत कर दिये गये थे कि प्रार्थी के आंकलन के हिसाब से पुराने खसरा नम्बर 2119 के उत्तरी तरफ पुराने खसरा नम्बर 2118 रकबा 3 बिस्वा से बने नये खसरा नम्बर 3392 रकबा 0.06 हैक्टर बनाकर उसका रकबा बढा दिया गया अर्थात् पुराने खसरा नम्बर 2119 का कम पडा रकबा 2118 में शामिल कर दिया गया व उसका रकबा बढा दिया गया तथा प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि मिलान क्षेत्रफल व राजस्व नक्शे के मिलान से भी उक्त तथ्य स्पष्ट नजर आते है अर्थात् पुराने खसरा नम्बर 2119 का जो रकबा कम पडा वह 2118 में शामिल कर दिया गया अथवा अन्य नया नम्बर बनाकर उसमें शामिल कर दिया गया प्रार्थी का रकबा पुरा कर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना व राजस्व रेकार्ड में हुयी त्रुटि को अनदेखा कर मात्र अपीलाण्ट को बेदखल करने की नियत से चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जबकि अपीलाण्ट उक्त कम हुये रकबे जो नये खसरा नम्बर 3392 का रकबा बढा दिया गया है पर पूर्वजों के समय से ही शान्तिपूर्वक काबिज आबाद है पुराने राजस्व रेकार्ड के हिसाब से वर्तमान खसरा नम्बर 3392 का रकबा मात्र 0.03 हैक्टर ही बनता है जबकि वर्तमान में 0.06 हैक्टर बना दिया गया बढा हुआ रकबा अपीलाण्ट की खातेदारी का रकबा है जिसको दुरूस्त न कर चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्य व उक्त आवेदन विचाराधीन रहने के दौरान ही प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार से वास्तविक तथ्यों की भौतिक जांच करवायी जाकर प्रार्थी का कम पडा रकबा किस खसरा नम्बर में जोड दिया गया व उसका रकबा बढा दिया गया इसको दुरूस्त कर प्रार्थी को न्याय दिया जाना था लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों की जांच करवाये बिना व मौके की जांच किये बिना मात्र सरसरी तौर पर चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलाण्ट के प्रस्तुत तर्को व लिखित बहस व प्रस्तुत कानूनी नजीरों की अनदेखी कर उनका हवाला अपने निर्णय में भी अंकित नहीं किया गया मात्र अपीलाण्ट को बेदखल करने की नियत से चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है जबकि अपीलाण्ट ने दिनांक 22.04.2024 को व अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर के समक्ष भी लिखित बहस पेश की गयी थी तथा लिखित बहस के साथ ही कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कानूनी नजिरे जबाब

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आवेदन के साथ ही प्रस्तुत की गयी थी लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों व दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाण्ट द्वारा अपने जबाब में व लिखित बहस में जो तथ्य उठाये है उन पर कोई जांच करवाये बिना अपीलाण्ट को न्याय से वंचित कर चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 22.04.2024 में अपीलाण्ट को उपस्थित दर्शाया गया है तथा अपीलाण्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया है उसके पश्चात् पत्रावली आयन्दा दिनांक 08.05.2024 को पेश होने का अंकन है उसके पश्चात् दिनांक 08.05.2024 को आदेशिका में अंकित किया गया है कि "पत्रावली पेश हुयी गैर सायल अनुपस्थित पत्रावली आयंदा दिनांक 30.05.2024 को पेश हो लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.05.2024 को अपीलाण्ट को सुने बिना व बिना बहस सुने अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवायी का अवसर दिये बिना बाला–बाला बिना पत्रावली बहस नियत व बिना बहस सुने चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है अपीलाण्ट को न्याय से वंचित कानूनन नहीं किया जा सकता अधीनस्थ न्यायालयों का चुनौतिग्रस्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इस प्रकार अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवायी का अवसर दिये बिना चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालयों के रेकार्ड पर यह आ चुका था कि उक्त भूमियों के बाबत सक्षम न्यायालय में आवेदन विचाराधीन है तथा कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि जब भूमियों के रेकार्ड दुरूस्ती के बाबत वाद अथवा आवेदन विचाराधीन रहते हुए धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कानूनन अमल में नहीं लायी जा सकती योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना अपीलाण्ट को न्याय से वंचित करने की नियत से चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपीलाण्ट ने अपने जबाब आवेदन की मद सं. 4 में स्पष्ट अंकन किया है कि "मौके की स्थिति की रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि का रकबा 0.0375 हैक्टर कम होकर गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 3392 रकबा 0.06 हैक्टर में वृद्धि हुयी है उक्त भूमि कैसे व किस वजह से हुयी की रिपोर्ट रेकार्ड पर ली जावे" लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2025 उनवानी कन्हैयालाल बनाम सरकार प्रकरण संख्या 42/2024 व नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 उनवानी सरकार बनाम नारायण वगै0 मुकदमा नम्बर 67/2023 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम को अपास्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2078 में वाके ग्राम कोटडी लुहारवास की आराजी खसरा नम्बर 3392 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0 मु0 चाहमें से रकबा 0.06 है0 भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.05.2024 द्वारा 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2025 द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 01.09.2021 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत 2078 में वाके ग्राम कोटडी लुहारवास की आराजी खसरा नम्बर 3392 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0 मु0 चाह में से रकबा 0.06 है0 भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 30.05.2024 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.03.2025 में यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन चाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै0मु0 चाह है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गैर मुमकीन चाह की भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0 मु0 चाह की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गै0 मु0 चाह की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.03.2025 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2024 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.03.2025 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर